राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 18/1364 – 1555 दिनांक :–05.01.2018

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की प्रगति के सम्बन्ध मे।

जैसा कि आपको विदित है राज्य की समस्त नगरीय निकायो मे 4 जनवरी 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 प्रारम्भ हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रभावी तैयारियो हेतु पूर्व मे आपको समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है साथ ही सभागीय स्तर, जिला स्तर, निकाय स्तर पर समीक्षा बैठको का आयोजन कर स्वच्छ सर्वेक्षण मे अच्छी रेकिंग लाने हेतु समस्त प्रकार की जानकारी आपको दी जा चुकी है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के पोर्टल पर आपके द्वारा अपना सिटी प्रोफाईल, सेल्फ एसेस्मेन्ट, ईनोवेशन इत्यादि को ऑनलाईन किया जा चुका है। उक्त रिकार्ड के आधार पर आपके शहर मे भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण आंकलन किया जावेगा। आपके शहर मे आने वाली स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए कार्यवाही सम्पादित करवावें।

ई–लर्निग कोर्स भी अधिक से अधिक करवाकर नगर निकाय मे उपलब्ध स्टाफ मे जागरूकता पैदा करे।

स्वच्छ सर्वेक्षण अन्तर्गत आपके द्वारा आपके शहर मे नियुक्त किये गये ब्राड एम्बेसेडर की मिटिंग आयोजित करवाकर उनका अच्छी रेकिंग हेतु सहयोग प्राप्त करे। इसी प्रकार मौहल्ला विकास समिति की बैठक आयोजित कर उनका सहयोग लेकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता तथा स्वच्छ सर्वेक्षण मे अच्छी रेकिंग हेतु प्रेरित करें।

आपके शहर मे कचरा बिननेवाले (Rag pickers) की मिटिंग आयेाजित कर उनको कचरे का सेग्रिगेशन करने हेतु प्रेरित करें एवं उनका सहयोग लेवे तथा

अतः आप कृपया उपरोक्त बिन्दुओ पर समुचित कार्यवाही सम्पादित कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मे अच्छी रेकिंग पर आने के व्यक्तिगत प्रयास करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 18/1556–1796 दिनांक :– 05.01.2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, राजस्थान, जयपुर।

2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्वच्छता।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
6. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
7. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है, कि अपने अधिकारी क्षेत्र की नगरीय निकायो मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाकर पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवावें।
9. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
10. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता